<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट ,लखनऊ</u> ।

<u>विशेष परीक्षण स0. 1264/2021</u>

सरकार.....बनाम.....**अमन चौरसिया आदि**

अपराध संख्या 393/2021
अं0 धारा–458, 504,34 आई0पी0सी0 व
धारा 3 (1)ध, 3 (2) 5 एससी/एसटी ऐक्ट
थाना–ठाकुरगंज, जिला– लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, श्रीमती कल्पना विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **अमन चौरसिया एवं सुफियान इदरीशी** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथम–यह कि दिनांक 12.07.21 को समय लगभग 09.30 बजे स्थान मकान वादिनी एकता नगर थाना–ठाकुरगंज, जिला–लखनऊ में आपने अन्य साथी के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पिता पर हमला करने के आशय से घुस कर घर में घुसकर सामान्य आशय के अग्रसरण में गृह अतिचार किया किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **458/34** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पिता को सार्वजनिक स्थल पर गालियां देते हुए अपमानित किया जिससे वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भा0दं0सं0 की धारा 504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा के पिता जो अनुसूचित जाति के सदस्य है, के घर रात 09:30 बजे अपने दोस्त के साथ जाकर सुफियान इदरीशी के साथ एकमत हो कर गया और घर में घुसकर पैसे के लेन–देन को लेकर झगड़ा किया और मॉ–बहन की गालियॉ दी जिससे वादिनी का परिवार काफी आहत हुआ, इस प्रकार से आप ने ऐसा अपराध कारित किया जो कि **धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** की धारा से आच्छादित है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा जो अनुसूचित जाति के सदस्य है, के घर में घुसकर उसके पिता को जान से मारने की नियत हमला कर दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार से आप ने ऐसा अपराध कारित किया जो कि **धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** की धारा से आच्छादित है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक : 17.02.2022

(**श्रीमती कल्पना**),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक : 17.02.2022

(**श्रीमती कल्पना**),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट
लखनऊ।

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट ,लखनऊ</u> ।

<u>विशेष परीक्षण स0. 1264/2021</u>

सरकार.....बनाम.....**अमन चौरसिया आदि**

अपराध संख्या 393/2021
अं0 धारा–458, 504,34 आई0पी0सी0 व
धारा 3 (1)ध, 3 (2) 5 एससी/एसटी ऐक्ट
थाना–ठाकुरगंज, जिला– लखनऊ।

<u>दिनांकः 17.02.2022</u>

पुकारा गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये।

वाद आज आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिंदु पर दोनो पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा केस खोलते हुए कहा गया है कि विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–458/34, 504 आई0पी0सी0 तथा धारा–3 (1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

मैनें समस्त अभियोजन प्रपत्रों, केस डायरी, आरोप पत्र एवं नक्शा नजरी आदि का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 458/34, 504 आई0पी0सी0 तथा धारा–3 (1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त पर धारा– 458/34, 504 आई0पी0सी0 तथा धारा–3 (1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट का आरोप विरचित किया जाता है।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक **.02.2022** को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट
लखनऊ।